न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 11/2018 – आ0नि0

1. मांगू पिता घीसा कुमावत निवासी बनाम चोटियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

1. मु. नन्दु पुत्री गणेश पत्नी मांगू गुर्जर निवासी परा हाल निवासी चोटियास, तहसील आसीन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. श्री दूदाराम कुमावत अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री बी.एल. बापना अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 2.12.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम चोटियास पटवार हल्का दड़ावट तहसील आसीन्द में स्थित साबिक आराजी नं. 304 रकबा 05 बीघा भूमि का दिनांक 14.06.1989 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवंटन सलाहकार समिति ने विपक्षी संख्या 01 को गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर दिया जो अवैध होकर निरस्तनीय हैं। आवंटन जारी किये जाने से पूर्व कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गयी। उक्त भूमि के कब्जे संबंधी किसी प्रकार की जांच एवं तहकीकात नही की गयी। पटवार हल्का ने विपक्षी संख्या 01 का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होते हुये भी अपनी रिपोर्ट की कलम संख्या 03 में विपक्षी द्वारा चाही गयी आवंटन बाबत् आराजी संख्या 583 के रकबा 05 बीघा भूमि पर पिता गणेश का अतिचार अंकित किया है और विपक्षी द्वारा भी इसी आराजी से आवंटन चाहा गया था परन्तु आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा आराजी संख्या 304 पर विपक्षी का कब्जा नहीं होते हुए भी इसमें से 05 बीघा भूमि का आवंटन विपक्षी के नाम पर गलत तौर पर कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। वादग्रस्त आवंटित आराजी 304 पर विपक्षी का कब्जा काश्त नही होते हुए भी आवंटित कर दिये जाने के पश्चात् विपक्षी के नाम नामान्तरकरण संख्या 414 दिनांक 24.07.1990 को खोला जाकर उक्त आराजी के बटा नं. 941/304 रकबा 05 बीघा भूमि को विपक्षी के नाम गैर खातेदार से दर्ज कर जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 में इन्द्राज किया गया। वादग्रस्त आवंटित आराजी 304 के भू प्रबंध के बाद नवीन आराजी 839 रकबा 4.57 हैक्टे. भूमि दर्ज की परन्तु विपक्षी नाम गलत आराजी 304 का आवंटन कब्जा काश्त नही होने के उपरान्त कर दिये जाने से उक्त आवंटित आराजी पर विपक्षी द्वारा कोई काश्त नही की गयी तथा न

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ही उस पर काबिज होकर उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया हैं। इस कारण भू प्रबंध अधिकारी द्वारा उक्त भूमि के नवीन नम्बर 839 दर्ज करते हुए बिलानाम अंकित कर दिया जो आज भी उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बिलानाम काबिल काश्त के इन्द्राज दर्ज है। विपक्षी के नाम ग्राम परा में अपने पति मांगू के नाम से काफी भूमि है, जिस तथ्य को छिपाकर विपक्षी अपने पीहर चोटियास में गैर कानूनी तरीके से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नही होते हुये भी आवंटित करवा ली हैं जो अवैध होकर निरस्तीकरण के हैं। वादग्रस्त आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात् विपक्षी द्वारा किसी प्रकार की काश्त नही की जबकि आवंटन नियम अनुसार आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में आधी भूमि पर काश्त करनी होती हैं तथा दूसरे वर्ष में आवंटित पूरे रकबे पर काश्त करनी होती है। हस्तगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा आवंटन के पश्चात् आज दिन तक उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही की तथा न ही उक्त भूमि को अपनी तहवील मे ली हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही आवंटन नियमों की किसी प्रकार की पालना विपक्षी द्वारा नही की जाने से तथाकथित आवंटन नियम विरूद्व होकर निरस्त होने लायक हैं। वादग्रस्त भूमि पर शुरू से ही प्रार्थी मांगू व उसके भाई खूमा का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं, जिसको करीबन 30 वर्ष हो गया हैं। वादग्रस्त आराजी के कब्जे के संबंध में पर्चा मौका पटवार मण्डल दडावट द्वारा दिनांक 25.09.2014 को तैयार किया गया जिसमें भी आराजी नं. 839 रकबा 1.80 हैक्ट. पर प्रार्थी का कब्जा पाया गया। निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 01 को उक्त भूमि ग्राम चोटियास पटवार हल्का दडावट तहसील आसीन्द में स्थित साबिक आराजी नं. 304 रकबा 05 बीघा भूमि का दिनांक 14.06.1989 को प्रशासन गांव की ओर अभियान दडावट में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2018 को इस न्यायालय में पंजीबद्व किया गया तथा विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए तथा भू–आवंटन संबंधी रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी सं. 01 की ओर से जवाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि वादग्रस्त आवंटित आराजी 304 पर विपक्षी का कब्जा काश्त नही होते हुए भी आवंटित कर दिये जाने के पश्चात् विपक्षी के नाम नामान्तरकरण संख्या 414 दिनांक 24.07.1990 को खोला जाकर उक्त आराजी के बटा नं. 941/304 रकबा 05 बीघा भूमि को विपक्षी के नाम गैर खातेदार से दर्ज कर जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 में इन्द्राज किया गया। वादग्रस्त आवंटित आराजी 304 के भू प्रबंध के बाद नवीन आराजी 839 रकबा 4.57 हैक्टे. भूमि दर्ज की परन्तु विपक्षी नाम गलत आराजी 304 का आवंटन कब्जा काश्त नही होने के उपरान्त कर दिये जाने से उक्त आवंटित आराजी पर विपक्षी द्वारा कोई काश्त नही की गयी तथा न ही उस पर काबिज होकर उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया हैं। इस कारण भू प्रबंध अधिकारी द्वारा उक्त भूमि के नवीन नम्बर 839 दर्ज करते हुए बिलानाम अंकित कर दिया जो आज भी उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बिलानाम काबिल काश्त के इन्द्राज दर्ज है। इस प्रकार

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रथम दृष्टया ही आवंटन नियमों की किसी प्रकार की पालना विपक्षी द्वारा नही की जाने से तथाकथित आवंटन नियम विरूद्व होकर निरस्त होने लायक हैं। वादग्रस्त भूमि पर शुरू से ही प्रार्थी मांगू व उसके भाई खूमा का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं, जिसको करीबन 30 वर्ष हो गया हैं। वादग्रस्त आराजी के कब्जे के संबंध में पर्चा मौका पटवार मण्डल दडावट द्वारा दिनांक 25.09.2014 को तैयार किया गया जिसमें भी आराजी नं. 839 रकबा 1.80 हैक्ट. पर प्रार्थी का कब्जा पाया गया। निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 01 को उक्त भूमि ग्राम चोटियास पटवार हल्का दडावट तहसील आसीन्द में स्थित साबिक आराजी नं. 304 रकबा 05 बीघा भूमि का दिनांक 14.06.1989 को प्रशासन गांव की ओर अभियान दडावट में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस व लिखित बहस में बताया कि ग्राम चोटियास की साबिक आराजी नं. 304 मी. रकबा 5 बीघा का आवंटन दिनांक 14.06.1989 को आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी सं. 01 को किया गया जिसके बटा नम्बर 941/304 रकबा 5 बीघा नामान्तरकरण संख्या 414 से डाले गये थे व साबिक रिकार्ड में यह भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज कर दी गयी थी व भूमि सुपुर्द कर सुपुर्दगीनामा बनाया गया। नवीन बंदोबस्त होने पर सेटलमेंट विभाग ने भूल व गलती से विपक्षी संख्या 01 को आवंटित भूमि भी नवीन बिलानाम आराजी नं. 839 रकबा 4.57 हैक्ट. में विलीन कर दी जिसमें विपक्षी संख्या 01 को आवंटित रकबा 1.05 हैक्ट. भी शामिल है। जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती हेतु विपक्षी संख्या 01 ने राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा एवं अन्य के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर गुलाबपुरा के न्यायालय में एक वादपत्र दिनांक 21.06.2006 को प्रस्तुत किया जो वर्तमान में सहायक कलक्टर आसीन्द के न्यायालय में विचाराधीन हैं जिसके मुकदमा नं. 138/2006 रा.वा. नंदू बनाम सरकार हैं। चांदी रेगर निवासी चोटियास को विपक्षी संख्या 01 के कब्जे वाली भूमि आवंटित कर दी गयी थी जिसे खारिज कराने के लिये नियम 14(4) अलोटमेंट रूल्स के तहत न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा मे प्रकरण संख्या 63/2007 आ.नि. पेश किया जो दिनांक 20.02.2009 को स्वीकार किया जाकर चांदी रेगर को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया। विपक्षी संख्या 01 भूमिहीन सद्भाविक गरीब काश्तकार हैं। विपक्षी संख्या 01 के पास इस आवंटनशुदा भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं हैं। आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन के 03 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् उस आवंटित भूमि में आवंटी को स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे में आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता हैं। विपक्षी संख्या 01 को उक्त भूमि का आवंटन हुये करीब 30 वर्ष का समय हो चुका हैं, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं। नामान्तरकरण संख्या 414 से विपक्षी संख्या 01 के नाम पर यह भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज की गयी जिसके बटा नंबर 941/304 रकबा 5 बीघा कायम किये गये। विपक्षी संख्या 01 ने कोई भी फ्रोड या मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं किया हैं और न ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन बाबत् कोई तथ्य अंकित किया हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ही पोषणीय नही होने से निरस्तनीय हैं क्योंकि नियम 14(4) में फ्रोड व

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर ही प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता हैं। विपक्षी संख्या 01 ने अपने तथ्यों को साबित करने हेतु साक्ष्य में शपथ पत्र एवं 6 स्वतंत्र गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत कर मामले को सिद्ध कराया हैं। विपक्षी संख्या 01 की ओर से विधिक दृष्टान्त – Rule 14(4) Allotment Rules 2010 RBJ 157 Narayan Vs Lakha, Rule 14(4) 2006 (2) RRT 1171 Ranjeet Vs Rajbala, Rule 14(4) 2006 (2) RRT 1220 Shiv Charan Vs Man Mohan, 2016 RBJ 102 State Vs Smt. Jasoda, 2002 RBJ 193 पेश किये हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 बाबत् आवंटन निरस्तीकरण आधारहीन होने से खारिज किया जावे।

भू आवंटन नियम 1970 इस प्रकार है –

राज़स्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 आवंटन की शर्ते– 1. आवंटी को काश्तकारी अधिनियम के अधीन गैर खातेदार काश्तकार के सभी अधिकार होगें ।

1. **क – ऐसे मामले में जहां भूमि का आवंटन किसी विवाहित कृषक को किया जाये तो आवंटन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम में किया जायेगा तथा ऐसे मामले में संयुक्त आंवटी के रूप में समझे जायेगें ।**

2. **लगान ,भूमि पर लागू स्वीकृत लगान दर से अथवा यदि आवेदित एवं आवंटित भूमि लगान के लिये लगान का निर्धारण नहीं हुआ हैं तो ग्राम में बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू दर से और ग्राम की चाही या नहरी सिचिंत भूमियों के लिये यथास्थिति चाही या नहरी दर से , आवंटन के प्रथम वर्ष से देय होगा ।**

3. **आवंटी को भूमि काश्त के अधीन लानी होगी तथा वह उसका समुचित उपयोग करेगा ।**

3. **यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया गया हो या यदि आवंटी ने आवंटन शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति कलक्टर को होगी।**

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। भूमि आवंटन पत्रावली संख्या 384/89 प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों की ओर तहसील आसीन्द अनुसार मु. नंदू पत्नी मांगु गुर्जर निवासी परा हाल चोटीयास तहसील आसीन्द ने प्रार्थना पत्र कृषि भूमि आवंटन ग्राम चोटियास के आराजी नं. 583 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन का प्रस्तुत किया। इस आराजी पर पिता गणेश/लूणा का अतिचार होना पटवारी हल्का दडावट की रिपोर्ट में अंकित है। भू आवंटन सलाहकार समिति ने ग्राम चोटियास की बिलानाम आराजी नं. 304 में रकबा 5 बीघा भूमि दिनांक 14.06.1989 को आवंटन की गयी। आवंटित भूमि जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 में नन्दू पुत्री गणेश पत्नी मांगु गुर्जर निवासी परा के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुयी। भू प्रबन्ध के दौरान उक्त आवंटित भूमि साबिक आराजी नं. 304 हाल आराजी नं. 839 बिलानाम दर्ज हो गयी। आवंटित भूमि साबिक आराजी नं. 304 के हाल आराजी नं. 839 पर मांगु खुमा पिता घीसा कुमावत का कब्जा होना धारा 91 की कार्यवाही तहसीलदार आसीन्द के प्रकरण संख्या 514/14 से प्रमाणित हैं। प्रार्थी के आराजी नं. 839 में कब्जा होने के संबंध में पी–14 संवत् 2071–2074 प्रस्तुत है। पी–14 संवत् 2046 से 49

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

में नन्दु जोजे मांगु गुर्जर निवासी परा का कब्जा काश्त आवंटित आराजी नं. 941/304 रकबा 5 बीघा भूमि पर अंकित नहीं हैं। जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में साबिक आराजी नं. 304 के हाल आराजी नं. 839 बिलानाम दर्ज हैं। उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के पत्र कमांक/819 दिनांक 16.07.2019 अनुसार ग्राम चोटियास के आराजी नं. 941/304 रकबा 5 बीघा भूमि के नवीन सेटलमेण्ट में आराजी नं. 839 पर नन्दु जोजे मांगु गुर्जर का कब्जा न है तथा न ही रहा हैं। न्यायालय तहसीलदार आसीन्द के प्रकरण संख्या 839/07 सरकार बनाम नन्दु पुत्री गणेश गुर्जर निवासी चोटियास का अतिक्रमण साबिक आराजी नं. 583 के हाल आराजी नं. 1386 रकबा 1.03 पर होना निर्णय दिनांक 09.05.2008 में अभिलिखित हैं।

श्रीमती नन्दु पुत्री गणेश गुर्जर निवासी चोटियास ने प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) का श्रीमती चांदी पत्नी रामलाल रेगर निवासी चोटियास के विरूद्व न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 63/07 आ.नि. होकर ग्राम चोटियास के साबिक आराजी नं. 304 रकबा 5 बीघा के हाल आराजी नं. 839 के भूमि आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना की जिस पर न्यायालय ने दिनांक 20.02.2019 को विपक्षीया चांदी पत्नी रामलाल रेगर निवासी चोटियास के भूमि आवंटन दिनांक 14.06.1989 को निरस्त कर बिलानाम दर्ज किया गया हैं।

ग्राम चोटियास के बिलानाम आराजी नं. 304 मी. रकबा 31.10 बीघा भूमि में निम्न को भूमि का आवंटन किया गया –

1. भोमा हीरा पिता गंभीरा गुर्जर सा.देह को आराजी नं. 938/341 रकबा 2.10 बीघा
2. चांदी जोजे रामलाल रेगर सा. देह को आराजी नं. 939/341 रकबा 4.00 बीघा
3. नन्दु जोजे मांगु गुर्जर साकिन परा हाल मु. चोटियास के नाम आराजी नं. 941/304 रकबा 5.00 बीघा

इस प्रकार नन्दु पत्नी मांगु गुर्जर के नाम ग्राम चोटियास के साबिक आराजी नं. 304 राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर खातेदारी आराजी नं. 941/304 रकबा 5.00 बीघा भूमि पर कब्जा नही होने से सेटलमेन्ट के दौरान नवीन आराजी नं. 839 में बिलानाम दर्ज हो चुकी हैं। नन्दु जोजे मांगु गुर्जर निवासी चोटियास ने ग्राम चोटियास के साबिक आराजी नं. 304 मी. आवंटित आराजी नं. 941/304 रकबा 5.00 बीघा भूमि के नवीन आराजी नं. 839 रकबा 4.57 हैक्ट. में से 1.05 हैक्ट. को घोषणात्मक डिक्री जारी कराने व नाजायज कब्जा हटाने संबधी एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 एवं 188–92(क) व धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द में प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 138/2006 वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द में जैरकार होकर लम्बित हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के प्रकरण संख्या 138/2006 में नन्दु पत्नी मांगू गुर्जर निवासी चोटियास ने ग्राम चोटियास के साबिक आराजी नं. 304 मी. रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से आवंटित 5 बीघा आराजी नं. 941/304 के हाल आराजी नं. 839 में से 1.05 बीघा भूमि बिलानाम के संबंध में खातेदार काश्तकार घोषित

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कराये जाने की प्रार्थना की हैं। इस प्रकरण में राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर भीलवाडा एवं तहसीलदार आसीन्द पक्षकार हैं। अतः तहसीलदार आसीन्द बिलानाम भूमि के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से ठोस प्रतिरक्षण कार्यवाही करते हुये बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने संबंधी आवश्यक कदम उठाने की सुनिश्चितता करें एवं राज्य हित की सुरक्षा हेतु आवश्यक साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत करें।

ग्राम चोटियास के बिलानाम आराजी नं. 839 रकबा 1.80 बीघा भूमि के संबंध में तहसीलदार आसीन्द मौके की जांच कर अतिक्रमण पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व अतिक्रमण प्रकरण दर्ज कर बेदखली कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

इस प्रकार ग्राम चोटियास के साबिक आराजी नं. 304 के हाल आराजी नं. 839 में आंवटी मु. नन्दु पुत्री गणेश पत्नी मांगु गुर्जर निवासी परा हाल चोटियास का कब्जा नहीं होने से एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आराजी नंबर 839 रकबा 4.57 हैक्ट. बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होने से आवंटन निरस्त योग्य हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार विपक्षी सं. 01 के नाम पर किया गया आवंटन निरस्त योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी सं. 01 के नाम ग्राम चोटियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा के साबिक आराजी नं0 304 के हाल आराजी नं. 839 रकबा 5.00 बीघा भूमि पर किये गये आवंटन दिनांक 14.06.1989 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार आसीन्द आराजी नं0 304 के हाल आराजी नं. 839 रकबा 5.00 बीघा भूमि को राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्जशुदा को कब्जे सरकार लेवे एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के प्रकरण संख्या 138/2006 में बिलानाम भूमि के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से ठोस प्रतिरक्षण कार्यवाही करते हुये बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने संबंधी आवश्यक कदम उठाने की सुनिश्चितता करें तथा ग्राम चोटियास के बिलानाम आराजी नं. 839 रकबा 1.80 बीघा भूमि के संबंध में तहसीलदार आसीन्द मौके की जांच कर अतिक्रमण पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व अतिक्रमण प्रकरण दर्ज कर बेदखली कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी आसीन्द एवं तहसीलदार आसीन्द को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 7.12. .2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा